तिलोक बनाम राजमल व अन्य
प्रकरण संख्याः– 81/2024(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः–27/01/2025

निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द(राज0)

प्रकरण सख्या – 81/2024 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक – 11/07/2024
निर्णय दिनांक – 27/01/2025

अनवान

1. तिलोक पिता बालु जाति गुर्जर आयु 60 वर्ष निवासी अर्जुनगढ़ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजमल पिता जेता जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी अर्जुनगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
2. प्यारी पत्नी स्व. पोखर जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी भामरा का वाडिया ग्राम पंचायत ज्ञानगढ़ तहसील करेडा जिला भीलवाडा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के स्वामित्व, आधिपत्य व खातेदारी कब्जे की भूमि ग्राम अर्जुनगढ़ पटवार सर्कल ताल तहसील देवगढ की सीमा मे प्रार्थी के खाते व कब्जे की भूमि जिसके वर्तमान खाता संख्या 48 के खसरा न0 498 रकबा 1.0800 हैक्टर कुल किता 1 रकबा 1.0800 हेक्टर भूमि होकर स्थित है। प्रार्थी की इस प्रार्थना पत्र की कॉलम सं0 1 मे वर्णित खसरा नम्बर की भूमि की अब तक प्रार्थी ने पत्थरगढी नही कराई है। प्रार्थी के पास जमीन विपक्षी संख्या 1 श्री राजमल पिता श्री जेता जी की होकर पडौसी है उससे हर वक्त जमीन कि सीमा के सम्बध में विवाद बना रहा है फसल काटते व बुआई के समय पाली वगैरा का विवाद रहता हैं और इस समस्या का

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

स्थाई समाधान प्रार्थी की उक्त जमीन की पत्थरगढी कराने से ही हल हो सकता है। अप्रार्थी संख्या 1 का यही कहना है कि कि तुम अपनी जमीन की पत्थरगढी करा लो और पत्थरगढी से तुम्हारी जमीन की जो सीमा कायम होगी उससे हम लोग पाबन्द रहेगे जिससे भी प्रार्थी को अपनी उक्त जमीनो की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की कॉलम सं0 1 की अर्जुनगढ़ पटवार सर्कल ताल तहसील देवगढ की सीमा मे प्रार्थी के खाते व कब्जे की भूमि जिसके वर्तमान खाता संख्या 48 के खसरा न0 498 रकबा 1.0800 हैक्टर कुल किता 1 रकबा 1.0800 हेक्टर भुमि की पत्थरगढी जरीये नपती नियमानुसार मौके पर नायब तहसीलदार साहब देवगढ को भिजवाया जाकर कराई जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 निम्न प्रकार है :–

Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession. (2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

Sec. 128. Boundary disputes.- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land Records Officer in the manner laid down in section 111.

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम अर्जुनगढ़ पटवार मण्डल ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के खाता संख्या 48 आराजी संख्या 498 रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों को सूचना पश्चात् उपस्थिति में सीमाज्ञान करते हुए प्रमाणिक राजस्व नक्शें के आधार पर सहमति से पत्थरगढ़ी की नियमानुसार कार्यवाही की जावें। यदि कब्जे / रकबा कम / ज्यादा संबंधी विवाद अथवा फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी की कार्यवाही नहीं की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सूपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें।** पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27 / 01 / 2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर देवगढ़
जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला-राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)